न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका।

अर्जेन्ट संख्या–04/2023 धारा 144द0प्र0स0

छटु भुईयां वनाम राजेन्द्र साव वगैरह

आदेश

S. No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with date
	31/3/023	अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख थाना प्रभारी रमकण्डा के डी0आर0 नम्बर 105/023 के द्वारा यह प्रक्रिया प्रारंम्भ किया गया है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–	

ग्राम	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा ए0 में	उ0	द0	पू0	प0
पटसर	पु0–19 न0–57	पु0–97 न0–116	0.63	नाला	रास्ता	जगदीश महरा	रास्ता

प्रथम पक्षकार के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है। आवेदन में प्रथम पक्ष का कथन है कि विवादित भूमि आवेदक के दादा स्व0 सिघारी भुईयां पिता स्व0 टिमन भुईयां के नाम से खतियानी जमीन है। तथा रसीद कटती है। परन्तु न्यायालय में इस संबंध को दस्तावेज दाखिल नहीं किया है।

द्वितिय पक्षकार का कारण पृच्छा का अवलोकन किया। राजेन्द्र साव वल्द स्व0 जगदीश साह ने बसन्त साह वल्द स्व0 कृष्णा साह से निबंधित केवाला संख्या 4820 दिनांक 19.07.1996 द्वारा क्रय किया गया है। मौजा पटसर के खाता संख्या 19 प्लौट सं0 पुराना 96 में नया प्लौट 116 में रकबा 0.02एकड़ उ0 नीज क्रेता द0 नीज क्रेता पु0 जगदीश साह वगैरह प0 नीज क्रेता एवं खाता संख्या 19 प्लौट संख्या पुराना 97 नया 116 मं रकबा 0.63 एकड़ चौहदी उ0 निज विक्रेता द0 रास्ता प0 जगदीश महरा वगैरह प0 रास्ता विवरण भी भूमि कुल 0.65 एकड़ भूमि क्रय किये है। अंचल कार्यालय में विक्रेता बसंत साह के नामे मांग पंजी के पृष्ठ संख्या 182 पर ऑनलाईन मांग कायम भी जिसके आधार पर क्रेता राजेन्द्र साह के नाम दाखिल खारीज हुई एवं ऑनलाईन रसीद निर्गत होते आ रहा है। हाल सर्वे में यह भूमि खाता 57 के अर्न्तगत वसंत साह पिता कृष्णा साह के नाम प्लॉट संख्या 116 में रकबा 63 डीसमील व प्लौट 287 में रकबा 26 डीसमील खतियानी दर्ज हुआ है। खतियानी रैयत बसंत ने ही राजेन्द्र साह द्वितीय पक्ष को यह भूमि निबंधित केवाला द्वारा विक्री कर दिया था इसी आधार पर ऑनलाईन मांग राजेन्द्र साह के नामें मांग पंजी के पृष्ठ संख्या 1 वाल्युम नं0 1 पर कायम हुआ तथा मालगुजारी रसीद लगातार प्राप्त करते आ रहे है। इस वाद में वर्णित भूमि पर द्वितिय पक्ष राजेन्द्र साह का दखल कब्जा है तथा इस भूमि पर घर का निर्माण द्वितीय पक्ष कर चुके है। पक्का घर इस जमीन पर राजेन्द्र साह का अवस्थित है। थाना प्रभारी रमकण्डा द्वारा जॉच प्रतिवेदन मे उल्लेख किया है कि आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पुराना खाता संख्या 19 प्लॉट संख्या 97 रकबा 0.63एकड़ उ0 नाला द0 रास्ता पु0 जगदीश महरा प0 रास्ता का जांच किया गया जांच के क्रम में पाया गया कि उक्त प्रश्नगत भूमि का नया खाता संख्या 57 प्लॉट संख्या 116 रकबा 0.63 एकड़ है। द्वितीय पक्ष राजेन्द्र साव उर्फ राजेन्द्र साह पिता स्व0 जगदीश साव सा0 पटसर थाना रमकण्डा जिला गढ़वा वगैरह उक्त भूमि को अपना बताते है एवं बसन्त साह पिता स्व0 कृष्णा साह साकिन पटसर थाना रमकण्डा वर्ष 1996 में केवाला के माध्यम कर वर्तमान में दाखिल कर ऑनलाईन रसीद कटते आ रहा है। प्रश्नगत भूमि पर एक कच्चा मकान तथा सरकारी मद से कुँआ बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीण लोगों से भी पुछताछ करने पर राजेन्द्र साव के द्वारा लगाया गया फसल पाया गया है। उक्त भूमि पर द्वितिय पक्ष राजेन्द्र साव को नाजायज परेशान किया जा रहा है। अन्त में अनुरोध करते हे कि जारी निषेधाज्ञा द्वितिय पक्ष से हटाई जाये एवं प्रथम पक्ष के विरूद्ध निषेधाज्ञा सम्पुष्ट करने की कृपा की जाय। इस वाद की समय सीमा समाप्त हो गई है। धारा 144 द0प्र0स0 की कार्यवाही की समाप्त की जाती है।

31.3.23

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
रंका।

Digitally signed by RUDRA PRATAP
Date: 2023.11.27 11:43:49 +05:30
Location: 192.168.223.152